सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार 29 मार्च, 1975

चैत्र 8, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1236/सत्रह—वि-1-17-75

लखनऊ, 29 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 26 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 1975 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1975]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम**

2—उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 म, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:— **उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1953 की धारा 9 का संशोधन।**

"(कक) उसका नोटिस सम्बद्ध गांव सभा को देगा"

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में— **धारा 11 का संशोधन।**

(1) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बद्ध गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध गांव सभा" रख दिये जाय;

(2) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

"(6) इस धारा के अधीन तहसीलदार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर कलेक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) इस धारा के अधीन भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट अथवा अधिक्रान्त करने के अधिकार के अन्तर्गत उसे पूर्णतः या अंशतः पुष्ट या अधिक्रान्त करने का भी अधिकार होगा।"

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 14 पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दी जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, शब्द "भूमिहीन व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "भूमिहीन कृषि श्रमिकों" रख दिये जायं;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारायें तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(2) जहां उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति, समिति में ऐसी भूमि के निहित होने के दिनांक से या उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अनुसार भूमि का अनुदान करने में असफल रहता है, तो कलेक्टर स्वयं ऐसी भूमि का अनुदान भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नियत रीति से कर सकता है, और तदुपरान्त अनुदानग्रहीता उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारों तथा दायित्वों को उसी प्रकार उपार्जित करेगा मानों अनुदान स्वयं समिति द्वारा दिया गया हो।

(3) 1950 ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सीरदार के अधिकारों या दायित्वों को उपार्जित करे, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की गई या अनुदत्त समझी गई भूमि के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन भूमिधरी अधिकारों को उपार्जित करने का हकदार न होगा।

(4) इस धारा के अधीन भूमि का अनुदान करने में, यथास्थिति, उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति या कलेक्टर निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा—

(क) अनुदान के लिए उपलब्ध भूमि का कम से कम पचास प्रतिशत उन व्यक्तियों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के हों और उन व्यक्तियों को जो कोल, पठारी, खैरवार, बैगा, धरिकार, पनिका और गोंड जन-जातियों तथा ऐसी अन्य जन-जातियों के हों जिन्हें राज्य सरकार समिति की सिफारिश पर तदर्थ विज्ञापित करे, अनुदत्त किया जायेगा;

(ख) किसी गांव में स्थित भूमि का अनुदान, यथासंभव, उसी गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'भूमिहीन कृषि श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास सुसंगत समय पर या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0·40468564 हेक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो।"

नई धारा 15-क का बढ़ाया जाना।

5—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अनुदानों का रद्द किया जाना

"15-क (1)—कलेक्टर, उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात, धारा 14 के अधीन अनुदत्त की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में, स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा और समिति की संस्तुति पर या ऐसे अनुदान से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि अनुदान अनियमित था या ऐसा अनुदान उसके ग्रहीता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया था, तो वह—

(1) अनुदान रद्द कर सकेगा, और इस प्रकार रद्द किये जाने पर, धारा 14 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि में अनुदान-ग्रहीता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और भूमि समिति को प्रतिवर्तित हो जायगी; और

(2) ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले या कब्जा रखे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा समिति को परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करा सकेगा जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही की नोटिस समिति को दी जायगी, और उसके सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये प्रत्येक अभ्यावेदन पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जायेगा।

(3) अनुदान ग्रहीता या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर को यह ज्ञात हो कि वह उसके अन्तर्गत दावेदार है, सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन पारित कलेक्टर का आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, 1975

निरसन तथा अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गयी बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानों यह अधिनियम दिनांक 21 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 1236(2)/XVII-V-1—17-75

Dated Lucknow, March 29, 1975

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 1975:

THE UTTAR PRADESH BHOODAN YAGNA (AMENDMENT) ACT, 1975

(UTTAR PRADESH ACT NO. 10 OF 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 1975.

Amendment of section 9 of U. P. Act X of 1953.

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952 (hereinafter referred to as the principal Act), *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*aa*) give notice of the same to the concerned Gaon Sabha."

Amendment of section 11.

3. In section 11 of the principal Act—

(i) in sub-section (2), *for* the words "the Gaon Panchayat concerned", the words "the concerned Gaon Sabha" shall be *substituted*;

(ii) *after* sub-section (5), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(6) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under this section may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal against it to the Collector and the decision of the Collector on such appeal shall be final.

(7) The power to confirm or supersede a Bhoodan declaration under this section shall include the power to confirm or supersede the same wholly or in part."

Amendment of section 14.

4. The existing section 14 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and—

(*a*) in sub-section (1) as so re-numbered, *for* the words "landless persons", the words "landless agricultural labourers" shall be *substituted*;

(*b*) after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-sections and Explanation shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where the committee or other authority or person as aforesaid fails to grant any land in accordance with sub-section (1) within a period of three years from the date of vesting of such land in the committee or from the date of commencement of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 1975, whichever is later,

the Collector may himself grant such land to the landless agricultural labourers in the manner prescribed, and thereupon the grantee shall acquire the rights and liabilities mentioned in sub-section (1) as if the grant were made by the committee itself.

(3) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, no person acquiring the rights and liabilities of a *sirdar* under sub-section (1) or sub-section (2) shall be entitled to acquire *bhumidhari* rights under the said Act in respect of the land granted or deemed to be granted under this Act.

(4) In making grant of land under this section, the committee or other authority or person as aforesaid or the Collector, as the case may be, shall observe the following principles :—

(*a*) At least fifty per cent of the land available for grant shall be granted to persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and persons belonging to the Kol, Pathari, Khairwar, Baiga, Dharikar, Panika and Gond Tribes and such other tribes as the State Government on the recommendation of the Committee may notify in this behalf;

(*b*) The land situate in one village shall, as far as possible be granted to persons residing in that very village.

Explanation—For the purposes of this section, the expression "landless agricultural labourer" means a person whose main source of livelihood is agricultural labour or cultivation and who at the relevant time either holds no land or holds land not exceeding 0.40468564 hectares (one acre) in Uttar Pradesh as a *bhumidhar, sirdar, asami* or Government lessee."

Insertion of new section 15-A.

5. *After* section 15 of the principal Act, the following new section shall be *inserted*, namely :—

"15-A. (1) The Collector may of his own motion and shall on the report of the committee or on the application of any person aggrieved by the grant of any land made under section 14, whether before or after the commencement of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 1975, inquire into such grant, and if he is satisfied that the grant was irregular or was obtained by the grantee by misrepresentation or fraud, he may—

Concellation of certain grants.

(i) cancel the grant, and on such cancellation, notwithstanding anything contained in section 14 or in any other law for the time being in force, the rights, title, and interest of the grantee or any person claiming through him in such land shall cease, and the land shall revert to the committee ; and

(ii) direct delivery of possession of such land to the committee after ejectment of every person holding or retaining possession thereof, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(2) Notice of every proceeding under sub-section (1) shall be given to the committee, and any representation made by the committee in relation thereto shall be taken into consideration by the Collector.

(3) No order shall be passed under sub-section (1) except after giving an opportunity of being heard to the grantee or any person known to the Collector to be claiming under him.

(4) The order of the Collector passed under sub-section (1) shall be final and conclusive."

Repeal and savings.

6. (1) The Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on January 21, 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 401 सा० (विधायिका)—3227—1975—700(मे०) ।